न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 2020 / 00195 दर्ज तिथिः– 29.05.2023

1. अनिताकंवर पुत्री बृजसिंह
2. आंचीकंवर पुत्री बृजसिंह
3. कोयलकंवर पुत्री बृजसिंह
4. कौशल्यादेवी पत्नि बृजसिंह
5. जयरामसिंह पुत्र सुवासिंह
6. तेजसिंह पुत्र सुवासिंह
7. दीपकसिंह पुत्र बृजसिंह
8. पृथ्वीसिंह पुत्र बृजसिंह
9. महिपाल सिंह पुत्र बृजसिंह
10. बिसनसिंह पुत्र बृजसिंह
11. सुमनकंवर पुत्री बृजसिंह
12. भगवती देवी पत्नि मदन सिंह
13. अजीत सिंह पुत्र मदन सिंह
14. रामसिंह पुत्र मदन सिंह
15. सतवीर सिंह पुत्र मदन सिंह

समस्त जातियान राजपूत निवासी ग्राम बसईजोगियान तहसील थानागाजी जिला अलवर
.... प्रार्थीगण

बनाम्

1. नोरंग सिंह पुत्र मक्खन सिंह
2. रेवत सिंह पुत्र महादेव सिंह
3. देशराज सिंह पुत्र सांवतसिंह
4. मुकेश सिंह पुत्र सांवतसिंह
5. गुड्डीकंवर पुत्री सांवतसिंह
6. रोशनकंवर पुत्री सांवतसिंह
7. मायाकंवर पुत्री सांवतसिंह
8. मीनाकंवर पुत्री सांवतसिंह

समस्त जातियान राजपूत निवासी ग्राम बसईजोगियान तहसील थानागाजी जिला अलवर
.....अप्रार्थीगण

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ता–श्री देवीसहाय शर्मा।
अप्रार्थी अधिवक्ताः– श्री नरेश शर्मा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.31 11:16:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

—:निर्णयः—

दिनांक 29.05.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी 1105/0.23 है0, 1106/0.02 है0, 1109/0.44 है0 वाके ग्राम बसईजोगियान तहसील थानागाजी पर कृषि काश्त के लिए पुरोहितों वाली ढाणी जाने वाले आम रास्ते से होकर अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी हाल आराजी खसरा संख्या संख्या 1107/0.47 है0 की पूर्वी भाग की डोल के सहारे सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर उत्तरी डोल तक फिर पूर्व से पश्चिम की ओर उत्तरी डोल के सहारे सहारे होकर प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी हाल खसरा संख्या 1105 की दक्षिणी डोल तक 30 फीट चौडा रास्ता चला आता है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते से होकर ही कृषि कार्य हेतु आमद रफत करते है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त आवेदित रास्ते को करीब 30 फुट चौडाई में खसरा संख्या 1107/47 है0 में से होकर मौके पर चालू रास्ते को 30 फीट चौडाई का नवीन रास्ता कृषि कार्य हेतु राजस्व रिकॉर्ड दर्ज कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा बताया गया मौके पर चालू रास्ता मौके पर चालू नहीं है। प्रार्थीगणों में झूठो तथ्यों के आधार पर आवेदित रास्ते को मौके पर चालू बताया गया है जबकि कोई रास्ता मौके पर चालू नहीं है। साथ ही प्रार्थीगणों को अपनी आराजी तक जाने के लिए एक अन्य मार्ग गैर मु0 रास्ता खसरा संख्या 1110 राजस्व रिकॉर्ड दर्ज होकर मौके पर चालू है। इस प्रकार प्रार्थीगण को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज होकर मौके पर चालू होने के कारण वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के कारण प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी से राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 के अनुसार मौका जॉच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार थानागाजी के द्वारा अपने पत्र क्रमांक/भू0अ0/2023/616 दिनांक 23.02.2023 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने—ए—जिरह प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को मात्र दौहराते हुए अभिकथन किया कि अप्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1107 के पूर्वी भाग में 15 फीट चौडाई की जगह उत्तर से दक्षिण लंबाई में खाली है। अप्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1107 के पूर्वी भाग में 15 फीट चौडाई में उत्तर से दक्षिण लंबाई में खाली जगह से होकर प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1109 तक कृषि कार्य हेतु राजस्व रिकॉर्ड दर्ज कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने—ए—जिरह जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की आराजी तक वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता होने एवं मार्ग की अत्यान्तिक आवश्यकता नहीं होने व नवीन रास्ता में निर्माण होने के आधार पर प्रार्थी का अनुतोष पोषणीय नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र खारीज करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.31 11:16:50 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी तहसीलदार की मौका–रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है–

धारा 251–क– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना–*(1) जहॉ*

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से एक नया मार्ग बनाना चाहता है, या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड़ अधिकारी को आवेदन कर सकेगे, और उपखण्ड़ अधिकारी, यदि सक्षिप्त जॉच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ नये मार्ग के मामले में, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फिट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसे ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो ***लघुत्तम या निकटतम रूट*** *से एक नया मार्ग जो 30 फिट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमार्ग को चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।*

(1) जहॉ–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(2) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ठ सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.31 11:16:50 IST
Reason: SelfAttested

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है—

> ***68. Application under Sec. 251-A.*** *- An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.*
>
> ***69. Enquiry and disposal of application.*** *- On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-*
>
> *(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and*
>
> *(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.*
>
> ***70. Determination of compensation.*** *- (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-*
>
> *(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.*
>
> *(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-*
>
> *(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and*
>
> *(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.31 11:16:50 IST
Reason: SelfAttested

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

   1. *खातेदार की रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।*
   2. *खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।*
   3. *लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।*

7. उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या–1 में रास्ते की आत्यान्तिक आवश्कता का जिक्र किया है तथा अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। साथ ही तहसीलदार थानागाजी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 23.02.2023 से इस तथ्य की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। प्रकरण में स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। दौराने मौका निरीक्षण अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र व मौका कमीश्नर रिपोर्ट पर एतराज में अंकित वैकल्पिक रास्ते को भी देखा गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र व मौका कमीश्नर रिपोर्ट पर एतराज में अंकित वैकल्पिक रास्ता के बारे में रिकॉर्ड व मौके के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त वैकल्पिक रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इस प्रकार उक्त रास्ता को वैकल्पिक रास्ता माना जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

8. इस प्रकार पैरा–07 के विश्लेषण के अनुसार शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। अतः प्रार्थी का नवीन रास्ते बाबत अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प पर विचार किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा दौराने–ए–बहस अप्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1107 के पूर्वी भाग में 15 फीट चौडाई की जगह उत्तर से दक्षिण लंबाई में खाली है। अप्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1107 के पूर्वी भाग में 15 फीट चौडाई में उत्तर से दक्षिण लंबाई में खाली जगह से होकर प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1109 तक कृषि कार्य हेतु लघुत्तम मार्ग का रास्ता दर्ज करने का अभिकथन किया है। प्रकरण में स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण अनुसार प्रार्थी द्वारा आवेदित तथा मौका रिपोर्ट में अंकित रास्ता का मार्ग ही लघुत्तम मार्ग प्रतीत होता है। उक्त प्रस्तावित रास्ते में अप्रार्थी द्वारा हाल ही में नवीन निर्मित अस्थाई पक्का निर्माण किया हुआ है। उक्त पक्का निर्माण प्रार्थी के द्वारा आवेदित रास्ते के अनुतोष को विफल करने के उद्देश्य से बनाया गया प्रतीत होता है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प मुताबिक तहसीलदार थानागाजी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 23.02.2023 द्वारा प्रस्तावित मार्ग का रास्ता को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.31 11:16:50 IST
Reason: SelfAttested

9. साथ ही प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं उभय पक्षकारों को न्यायालय में पूर्व सूचित करते हुये उभय पक्षकारों तथा उभय पक्षकारों के अभिभाषको की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया। साथ ही प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 23.02.2023 द्वारा लघुत्तम मार्ग बाबत विकल्प को प्रस्तावित किया गया है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार प्रार्थी द्वारा दौराने–ए–बहस प्रस्तावित अप्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1107 के पूर्वी भाग में 15 फीट चौडाई में उत्तर से दक्षिण लंबाई में खाली जगह से होकर प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1109 तक कृषि कार्य हेतु लघुत्तम मार्ग नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प मुताबिक तहसीलदार थानागाजी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 23.02.2023 द्वारा प्रस्तावित मार्ग का विकल्प को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार थानागाजी के पत्र क्रमांक क्रमांक / भू0अ0 / 2023 / 616 दिनांक 23.02.2023 के द्वारा प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं उभय पक्षकारों को न्यायालय में पूर्व सूचित करते हुये उभय पक्षकारों तथा उभय पक्षकारों के अभिभाषको की उपस्थिति में मौका निरीक्षण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क काबिल–ऐ स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार थानागाजी की दिनांक 23.02.2023 की मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार प्रस्तावित तथा अप्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1107 के पूर्वी भाग में 15 फीट चौडाई में उत्तर से दक्षिण लंबाई में नवीन निर्मित अस्थाई निर्माण को हटाते हुये प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1109 तक कृषि कार्य हेतु लघुत्तम मार्ग बतौर 15 फुट चौडा गैर मुमकिन रास्ता नियमानुसार भूमि एवं निर्माण की क्षतिपूर्ति राशि भुगतान पश्चात् राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार थानागाजी के पत्र क्रमांक क्रमांक/भू0अ0/2023/616 दिनांक 23.02.2023 के द्वारा प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं उभय पक्षकारों को न्यायालय में पूर्व सूचित करते हुये उभय पक्षकारों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण पश्चात विश्लेषित निष्कर्ष प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार थानागाजी को आदेश दिये जाते है कि दिनांक 23.02.2023 की मौका जॉच रिपोर्ट में अंकित प्रस्ताव में इंगित लाल रंग से प्रदर्शित हाल आराजी खसरा संख्या 1107/0.47 है0 वाके ग्राम बसई जोगियान के नक्शे मुताबिक प्रस्ताव मार्ग पर नवीन निर्मित अस्थाई निर्माण को ध्वस्त करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.31 11:16:50 IST
Reason: SelfAttested

हुये15 फुट चौडाई के रास्ते में आयी भूमि एवं निर्माण के एवज में राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम—70 के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि आंकलित कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि वितरित करते हुये नियमानुसार उक्त नवीन रास्ते को खाता संख्या—1 सिवायचक में सार्वजनिक उपयोग हेतु किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर अंकन किया जावें। दिनांक 23.02.2023 की मौका जॉच रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार थानागाजी को भिजवायी जावें।

अगर उक्त रास्ते के पेटे आई भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, के एवज में मुआवजा राशि के बाबत उभय पक्षकारो के मध्य सहमति हो तो मुताबिक सहमति मुआवजा राशि का भुगतान प्रार्थीगण अप्रार्थीगणों को करना सुनिश्चित करे। अगर उक्त रास्ते के पेटे आई भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, के एवज में मुआवजा राशि को लेकर उभय पक्षकारो के मध्य सहमति नहीं हो तो, तहसीलदार थानागाजी निर्णय की प्रति प्राप्त होने के 07 दिवस के अन्तर्गत उक्त रास्ते के पेटे आई भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, के एवज में मुआवजा राशि आंकलित कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित करते हुये प्रार्थीगण को उक्त मुआवजा राशि जमा कराने हेतु तथा अप्रार्थीगणों को उक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु समय सीमा निर्धारित करते हुये सूचित करे। प्रार्थीगण उक्त नोटिस की अवधि से पूर्व तहसीलदार थानागाजी द्वारा आंकलित राशि नियमानुसार जमा करावे तथा अप्रार्थीगण उक्त नोटिस की अवधि से पूर्व अपनी मुआवजा राशि प्राप्त करे। उक्त नोटिस की अवधि समाप्ति के पश्चात तहसीलदार थानागाजी प्रार्थीगण के नियमानुसार मुआवजा राशि नियत तिथि तक जमा कराने तथा अप्रार्थीगण द्वारा नियत तिथि तक मुआवजा राशि/भूमि प्राप्त नहीं करने की स्थिति में मुआवजा राशि को निर्धारित मद में जमा करते हुये उक्त रास्ते के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर मौके पर उक्त रास्ते को चालू कराना सुनिश्चित करे।

यह आदेश आज दिनांक 29.05.2023 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी—अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.31 11:16:50 IST
Reason: SelfAttested